न्यायालय–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खंडवा (म0प्र0)

(समक्ष – ठाकुर प्रसाद मालवीय)

एम.जे.सी. सक्शेसन प्रकरण क. 01/2026

फाइलिंग क. 50/2026

संस्थित दिनांक 15/01/2026

सी.एन.आर. नं. एमपी 12010002432026

1. अंतिम पिता स्व. भरत मार्कण्डेय उम्र 35 वर्ष
निवासी–17, रामेश्वर नगर, नवचंडी मंदिर रोड़
बल्ली मिश्राजी के घर के सामने, तहसील व जिला खंडवा

आवेदक

विरूद्ध

1. अरूण पिता स्व.राधाकृष्ण मार्कण्डेय उम्र 79 वर्ष
निवासी– सांईनाथ कॉलोनी, दीवाल रोड़, सांई मंदिर के पास
तहसील पंधाना जिला खंडवा
2. श्रीमती सीमा पति स्व. भरत मार्कण्डेय उम्र 61 वर्ष
3. अंकित पिता स्व. भरत मार्कण्डेय, उम्र 36 वर्ष
दोनों निवासी–17, रामेश्वर नगर, नवचंडी मंदिर रोड़ बल्ली मिश्राजी के घर के सामने, तहसील व जिला खंडवा म.प्र.।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाईन खंडवा
5. *सर्वसाधारण*

अनावेदकगण

———————————————————

आवेदक द्वारा– श्री अभिषेक सोहनी अधिवक्ता।

अनावेदक क्रं. 1 से 3 द्वारा श्रीमती सुषमा शर्मा अधिवक्ता।

———————————————————

– आदेश –

(आज दिनांक 30.06.2026 को पारित किया गया)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदक/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के ताउजी अर्थात उसके बड़े पिता दिलीप मार्कण्डेय का स्वर्गवास वर्ष 2007 में हो चुका है। दिलीप मार्कण्डेय की धर्म पत्नी रू खमणबाई है उक्त दंपत्ति निःसंतान थे, इसलिए उन्होंने आवेदक को बचपन से अपने साथ रखा और आवेदक की शिक्षा–दीक्षा, लालन–पालन तथा भरण–पोषण कराया। उक्त दंपत्ति आवेदक को ही स्नेह करते थे और उसे पुत्रवत मानते थे। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी आवेदक के संपूर्ण परिवारजनों को तथा प्रकरण के अनावेदक क्रं. 1 लगायत 3 को प्रारंभ से ही रही है। आवेदक की ताईजी रूखमणी बाई का बैंक खाता अनावेदक क्रं. 4 की शाखा में स्थित है। रूखमणीबाई का स्वर्गवास दिनांक 8.11.2025 को शहर खंडवा में हो चुका है। मृतक रूखमणी बाई ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी के रूप में भी आवेदक का नाम उल्लेखित है। अनावेदक क्रं. 2 व 3 आवेदक की माता एवं सगा बड़ा भाई है। आवेदक के पिता का स्वर्गवास भी वर्ष 2025 में हो चुका है। मृतक रू खममणीबाई का बैंक खाता क्रं. 30265110587 जो प्रतिवादी क्रं. 4 की बैंक में संधारित है में दिनांक 06.11.2025 तक राशि 6,14,220/–रूपए जमा है। बैंक से मौखिक रूप से निवेदन कर उपरोक्त राशि की मांग की थी जिस पर उनके द्वार सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक श्रीमती रूखमणीबाई के अनावेदक क्रं. 4 भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाईन खंडवा में संधारित बचत खाता क्रं. 30265110587 में जमा राशि 6,14,220/– रूपये{छः लाख चौदह हजार दो सौ बीस रूपए} मय ब्याज सहित प्राप्त करने के संबंध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

जारी किये जाने का निवेदन किया। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रकरण में आवेदक द्वारा सर्वसाधारण को पक्षकार बनाया गया है। सर्वसाधारण के लिये प्रस्तुत विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र ''स्वदेश'' दिनांक–04.02.2026 की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में सर्वसाधारण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रकरण में सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक–27.02.2026 सर्वसाधारण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा मृतक का अन्य कोई वारिस होना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है।

4. अनावेदक क्रं. 1 लगायत 3 की ओर से उक्त आवेदन पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि आवेदक, अनावेदकगण का सगा रिशेदार होकर अनावेदक क्रं. 2 का पुत्र, अनावेदक क्रं.3 का सगा भाई एवं अनावेदक क्रं.1 का भतीजा है। आवेदक, अनावेदक क्रं –1 के बड़े भाई दिलीप एंव उनकी पत्नि रूखमणी भाई के पास बचपन से ही रहा है उक्त दोनों दम्पती निःसंतान थे इस कारण उन्होंने आवेदक को पुत्रवत रख कर उसका लालन पालन किया और आवेदक का भी उनके प्रति माता–पिता जैसा स्नेह रहा है। आवेदक ने ही मृतक रू खमणी बाई की देख–रेख उनके जीवन काल में की तथा मृत्यु पश्चात् अंतिम कार्यक्रम भी सम्पादित किया है मृतक रूखमणीबाई ने अपने बैंक खाते मे आवेदक को ही नॉमिनी नियुक्त किया है। आवेदक को मृत रू खमणीबाई के बैंक खाते के संबंध मे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में अनावेदकगण को कोई आपत्ति नहीं है।

5. **प्रकरण के निराकरण** हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. **क्या आवेदक स्व. रूखमणी का भतीजा होकर वैधानिक वारिस/उत्तराधिकारी है ?**

2. क्या आवेदक मृतक रूखमणी <u>के अनावेदक क्रं. 4 भारतीय स्टेट बैंक शाखा खंडवा में बचत खाता क्रं. 30265110587 में जमा राशि 6,14,220/– रूपये {छ : लाख चौदह हजार दो सौ बीस रूपए} मय ब्याज सहित प्राप्त करने के संबंध में</u> उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है ?

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 की विवेचना</u>

6. उपरोक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

7. अंतिम मार्कंडेय (प्रार्थी साक्षी क्रमांक–01) द्वारा न्यायालयीन कथन किया गया है कि मृतिका रूकमणी बाई उनकी ताईजी हैं, जिनकी मृत्यु 08 नवम्बर 2025 शहर खंडवा में हो चुकी है तथा मृतिका रूकमणी बाई के पति दिलीप मार्कण्डेय का स्वर्गास भी वर्ष 2007 में हो चुका है। उक्त दोनों निःसंतान दंपत्ति थे, बचपन से ही आवेदक को वे अपने साथ पुत्रवत तथा स्नेह दिया और शिक्षा–दीक्षा एवं लालन–पालन किया। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी संपूर्ण परिवार को है तथा अनावेदकगण को भी है। उनके पिता की मृत्यु वर्ष 2025 में हो चुकी है अनावेदक क्रं. 1 उनके ताउजी हैं तथा अनावेदक क्रं. 2 माता तथा अनावेदक क्रं. 3 बड़ा भाई है। मृतिका रूकमणी बाई का भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाईन खंडवा में बचत खाता क्रं. 30265110587 रहा है, जिसमें दिनांक 06.11.2025 तक राशि 6,14,220/–रूपए जमा है। उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए अनावेदक क्रं. 5 से संपर्क किया तब उन्होंने इंडेमिनिटी बॉड भरने के लिए कहा, परंतु जब बॉड भरने के लिए बैंक गया तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राशि प्रदान की जावेगी।

8. साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि रूकमणी बाई ने बैंक खाते में नॉमिनी उसे नियुक्त किया, राशि प्राप्त किए जाने में अनावेदकगण को कोई भी आपत्ति नहीं है। रूकमणी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–1, आवेदक के ताउजी का मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–2, भरत कुमार मार्कंडेय का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–03 है, स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श पी–4 है, मृतिका रूकमणी बाई की भारतीय स्टेट बैंक शाखा खंडवा की बचत खाता कं. 30265110587 की पासबुक प्रदर्श पी–5 है।

9. आवेदक ने उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में मृतक रूखमणी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–1 है जिसमें दिनांक 08.11.2025 को उनकी मृत्यु होना दर्शित है तथा उनके पति दिलीप मार्कंडेय का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–2 जिसमें दिनांक 11.09. 2007 को उनकी मृत्यु होना दर्शित है एवं आवेदक के पिता भरत मार्कंडये का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–2 है, जिसमें दिनांक 21.06.2026 को उनकी मृत्यु होना प्रकट होती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अभिलेख पर खंडन नहीं हो सका है तथा अनावेदक कं. 1 लगायत 3 के द्वारा भी उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति न होना प्रकट करते हुए आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सहमति व्यक्त की है।

10. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची अनुसार न्यायशुल्क प्रस्तुत किया जावे तो उनके पक्ष में निम्न प्रकार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे–

मृतक रूखमणी के अनावेदक कं. 4 भारतीय स्टेट बैंक शाखा खंडवा में बचत खाता कं. 30265110587 में जमा राशि

6,14,220/– रूपये { छः लाख चौदह हजार दो सौ बीस रूपए} मय ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए आवेदक को अधिकृत किया जाता है।

11. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक रूपये 6,50,000/– { अक्षरी छः लाख पचास हजार रूपये मात्र} का बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिये इस आशय की प्रस्तुत करे कि यदि कोई अन्य उत्तराधिकारी उक्त राशि को क्लेम करता है या कोई अन्य आदेश इस राशि के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा किया जाता है तो आवेदक वह राशि अविलंब न्यायालय में स्वयं के व्यय से जमा कर देंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित और दिनांकित कर पारित किया गया।

ठाकुर प्रसाद मालवीय
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
खंडवा (म.प्र.)

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया गया।

ठाकुर प्रसाद मालवीय
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
खंडवा (म.प्र.)

THAKUR PRASAD MALVIYA

Digitally signed by THAKUR PRASAD MALVIYA